न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 18/2013

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
1 दाखकुंवर पत्नी भबुतसिंह 2 गुलाबसिंह पुत्र भबूतसिंह 3 उम्मेदसिंह पुत्र भबूतसिंह 4 वीरेन्द्रसिंह पुत्र भबूतसिंह 5 सुरेन्द्रसिंह पुत्र भबूतसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण सिंदरथ तहसील सिरोही		1 अजयपालसिंह पुत्र गोपालसिंह 2 धापुकंवर पत्नी गोपालसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण सिंदरथ

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31.5.18

अपीलांटगण की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहत सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 187/2012 बअनवान अजयपालसिंह वगैरा बनाम दाखुकुंवर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.06.2013 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन मय अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद वास्ते कब्जा भूखण्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पत्र पेश किया तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया एवं आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत जवाब पर कोई गौर नहीं किया। वादग्रस्त भूखण्ड पर रेस्पोडेन्ट्स का कोई कब्जा नहीं होते हुए भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। मौके पर अपीलांटगण का जैर अपील वादस्थ भूमि पर वक्त सेंटलमेन्ट से कब्जा काश्त है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जिसें अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि रेस्पोडेन्ट भूमि का खातेदार है जिस पर उनका कब्जा है। अपीलांटगण के द्वारा अवैध रुप से कब्जा करने एवं व्यावसायिक होटल का निर्माण करना चाहते है यदि इन्हें निर्माण कार्य से नहीं रोका गया तो रेस्पोडेन्ट्स को अपूरणीय क्षति एवं इनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। यदि अपीलाण्ट जैर अपील वादस्थ भूमि पर काबिज भी है, तो इनकी हैसियत उक्त भूमि पर काबिज अतिक्रमी से अधिक नहीं है। चूंकि रेस्पोडेन्ट भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा विधि अनुसार टाईटल को ही पज़ेशन का बेस्ट प्रूफ माना गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए बाद जांच व सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित किया है। लिहाजा अपीलांटगण की अपील खारीज की जावें।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड के अनुसार रेस्पोडेन्ट्स का खातेदारी भूमि होना बताया, जिसकी ताईद राजस्व रेकर्ड से होती है। विधि अनुसार एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस सम्बन्ध **2013(2) RRT Page 828 Rameshi vs. Kajod & ors** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- temporary Injunction application rejected & affirmed by the appellate Court-Land not recorded in the Khatedari of the plaintiff- No. T.I. can be granted against the recorded khatedar- Possession of non-petitioners no. 3 & 4 would be treated after the death of 'B'- Petitioner failed to prove possession- objection raised can only be decided during trail-Concurrent judgments- Held, No illegality or perversity in the order. **2012(2) RRT Pg. No. 1439 Pooran Chand & ors. V/s. Gopal Prasad & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Trail court restrained both the parties but RAA Dismissed the application of the petitioners – Land recorded on Khatedari of GP – No Revenue entry in favour of the petitioners – Khatedari of 'GP' is based in the registered sale deed Appellate court not found the Prima facie case in favour of the petitioner 'KP' & ors. – Concurrent finding regarding Khatedari & possession – No T.I. can be granted against the recorded Khatedar holding possession – Held, R.A.A. has not committed any illegality or jurisdictional error.(Para's 7,8). **RRT 2015(1) Pg. No. 633 Awtar Khan V/s. Mehar Bano & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Applications dismissed – Respondent No. 1 & 2 are the recorded Khatedar of the land & no temporary Injunction can be granted – Concurrent finding – Limited scope – Held, No material illegality or jurisdictional error in the order. (Para's 8,9). **RRT 2014(2) Pg. No. 1301 Goparam & ors V/s. Harima Ram & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Application for granting T.I. was dismissed – Defendants / non-applicants are the recorded Khatedar of the land & they are in possession of the land – Concurrent findings – Held, No T.I. can be granted & order suffered with no irregularity or illegality.(Para 7). **RRT 2004(1) Pg. No. 587 Kaushlya V/s.Chotu & ors.** में प्रतिपादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- P&N purchased the land from non-petitioner nos. 1 to 3 who subsequently sold to non-petitioners nos. 5 to 9 & they are in possession of land – No Possession of plaintiff – 1/5 share claimed by plaintiff in property being ancestral – No prima facie, or balance of convenience in favour of petitioners – Held, no illegality or irregularity in the order of R.A.A. (Para's 7,8). **RRT 2009(2) Pg. No. 1393 Dhupa V/s. Mamman & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212 & 230 - Application for granting T.I. rejected in absence of the prima facie case – revision – Non-Petitioners are recorded Khatedar of the disputed land & they are in possession – No proof produced to show possession – Concurrent finding – Held, No case made out for interference.(Para's 8,9). अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण अपीलाण्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलांण्ट्स की अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 187/2012 बअनवान अजयपालसिंह वगैरा बनाम दाखुकुंवर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.06.2013 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त रेकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही